



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) सरिया

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

सुनील सिंह पुत्र परबत सिंह नाम राजस्वामि सरकार

दावा बाबत ६३ RTI

मुकदमा नम्बर :- 109/2022

निर्णय दिनांक :- 06-06-2022

वादी की ओर से रूपय की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06-06-22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपंटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी स्वीकार किया जाकर समाप्त हो रही उपर सोमासी खातानं. 55 खसरा नं. 214/34 पा एवं खण्ड खतानं. 325 खसरा नं. 712 में अंकित सोहन सिंह पुत्र परबत सिंह के स्वाम्य पर सुनील सिंह पुत्र परबत सिंह किये जाने की घोषणा की जाती है। तद्विषय, चूरु अन्तगुसार आपस में अन्तगुसार में अन्तगुसार करे। वादी का पूर्व में कोई आपसिक उन्तगुसार दर्प होने तथा सरकारी राशि बकाया होने की स्थिति खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। में पूर्व नाम ही मान्य होगा।  
यह आज तारीख 06-06-22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( सत्यनारायण )

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

**उपखण्ड अधिकारी**

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

